



## कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक-‘ए’ पुरुलिया रोड़, चास, बोकारो-827013

Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.com मो० - 8987790301



पत्रांक : 428, दिनांक : 02/05/2025

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
धनबाद वन प्रमण्डल।

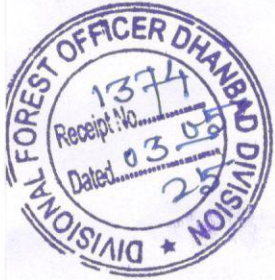
विषय :- मेसर्स बी०सी०सी०एल० की मुराईडीह कोलियरी परियोजना हेतु कुल 133.69 हे० (46.17 हे० वनभूमि एवं 87.52 हे० जंगल-झाड़ी) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रासंग :- आपका कार्यालय पत्रांक 931 दिनांक 19.04.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 106 दिनांक 03.02.2023 द्वारा 6(छः) बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन प्रासंगिक पत्र द्वारा समर्पित किया गया है। अनुपालन प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ/कमियाँ पाई गई हैं, जो निम्नवत् हैं :-

1. पृच्छा संख्या-1 :- विषयगत परियोजना हेतु 87.52 हे० जंगल-झाड़ी दर्ज भूमि प्रतिवेदित की गई है, परन्तु आयुक्त, हजारीबाग के द्वारा मात्र 25.19 हे० जंगल-झाड़ी दर्ज भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है।
2. पृच्छा संख्या-3 :- विषयगत परियोजना हेतु 87.52 हे० जंगल-झाड़ी दर्ज भूमि (51.96 हे० गैर मजरुआ जंगल-झाड़ी एवं 35.56 हे० रैयती जंगल-झाड़ी) प्रतिवेदित की गई है। "उपायुक्त के ज्ञापांक 1407 दिनांक 11.04.2022 के अनुसार उक्त भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के परियोजन हेतु वनभूमि के श्रेणी में नहीं आती है।" इस संदर्भ में सभी साक्ष्य/अभिलेखों के साथ सुस्पष्ट मंतव्य समर्पित किया जाय।
3. पार्ट-I बिन्दु संख्या-C(ii) a "No. of patches" में Patch के रकवा तथा KML के रकवा में भिन्नता है।
4. पार्ट-I बिन्दु संख्या-K(i) में FRA Certificate/Undertaking upload नहीं किया गया है।
5. पार्ट-II के बिन्दु संख्या-5 में "Prescribed working plan prescription" अंकित नहीं है।



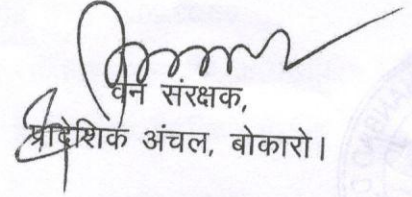


6. पार्ट-II के बिन्दु संख्या-6 में "vulnerability of the forest area to erosion में less vulnerable अंकित है, स्पष्ट करें। चूँकि प्रस्तावित परियोजना कोयला खनन परियोजना है।
7. पार्ट-II के बिन्दु संख्या-7 में वन सीमा से दूरी 1.6 कि०मी० अंकित की गई है। परन्तु विषयगत परियोजना के लिए वनभूमि अधिग्रहण की जा रही है।
8. पार्ट-II के बिन्दु संख्या-8(i) विषयगत परियोजना 133.69 हे० वनभूमि अपयोजित की जानी है, जिसमें वन्यजीवों का आवासन स्वाभाविक है, परन्तु आपके द्वारा वन्यजीवों का प्रकार अंकित नहीं किया गया है।

अतः अनुपालन प्रतिवेदन की सभी प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस भेजते हुए अनुरोध है कि स्पष्ट मंतव्य एवं पार्ट-I एवं पार्ट-II को संशोधित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन सात प्रतियों में समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु० :- यथोक्त।

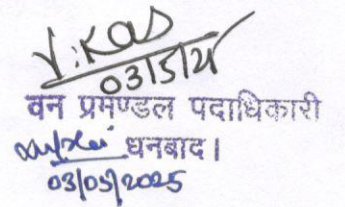
विश्वासभाजन

  
वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल।

आपंक - 1034 दिनांक - 03.05.2025

प्रतिलिपि : महाप्रबन्धक, सी० सी० सी० स्ल०, जरीरा क्षेत्र,  
कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया गश्त पृच्छा का निश्चयन प्रसिद्धि शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।

  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
धनबाद।  
03/05/2025